MRA AN UNIVA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

No. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2005/ब्रावण 3, 1927 NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2005/SRAVANA 3, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिजर्व वैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालव)

अधिसुचना

मुबंई, 22 जुलाई, 2005

सं. फेमा 137/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 504(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000—आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(चौथा संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. बिनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, विनियम 10 में, उप-विनियम अ में, खण्ड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- "(क) (i) उपहार के तौर पर, कोई प्रतिभूति, रिजर्व बैंक के अनुमोदन हेतु आवेदन करे।
 - (ii) रिजर्व बैंक निम्नलिखित शर्तों से संतुष्ट होने पर ऐसा अनुमोदन दे सकता है:
 - क) इस विनियमावली की सूची 1, 4 तथा 5 के अंतर्गत आदाता ऐसी प्रतिभूति धारित करने का पात्र है।

- ख) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी / डिबेंचर की प्रत्येक सिरीज़/ प्रत्येक म्युच्अल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।
- ग) भारतीय कंपनी में लागू सेक्टोरल कैप/ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उल्लंघन नहीं किया जाता है।
- घ) दाता और आदाता कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में दी गई परिभाषा के अनुसार रिश्तेदार हों।
- ड) दाता द्वारा अंतरित किए जानेवाले प्रतिभूति का मूल्य कैलेंडर वर्ष में भारत के बाहर रहनेवाले किसी भी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित किसी प्रतिभूति के मूल्य के साथ 25,000 अमरीकी डॉलर के समकक्ष रुपए से अधिक न हो।
- च) ऐसी अन्य शर्तें जो लोक हित में रिज़र्व बैंक को आवश्यक लगे।
- (iii) उप खंड (i) में संदर्भित अनुमोदन के आवेदन में निम्नलिखित जानकारी/ दस्तावेज शामिल हो :-
 - क) दाता और आदाता का नाम और पता
 - ख) दाता और आदाता के बीच का रिश्ता
 - ग) उपहार देने का कारण 🥒
 - घ) सरकारी दिनांकित प्रतिभूति और खजाना बिल और बांडों के मामले में ऐसे प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र
 - ड) परेलू म्यूपुअल फंड और मनी मार्केट म्युचुअल फंड के यूनिटों के मामले में ऐसे प्रतिभूति के निवल आस्ति मूल्य के संबंध में जारीकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र
 - च) शेयरों और डिबेंचरों के मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा पूर्ववर्ती सीसीआइ द्वारा क्रमशः सूचीबद्ध कंपनियों और असूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मृत्य के संबंध में सनदी लेखाकार से प्राप्त एक प्रमाणपत्र
 - छ) संबंधित भारतीय कपनी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि निवासी से अनिवासी को भेंट के रूप में शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रस्तावित अंतरण लागू सेक्टोरल कैप/ कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है और कि अनिवासी अंतरणकर्ता द्वारा धारित शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रस्तावित संख्या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :-

दिनांक 02.03.2001 का जीएसआर सं.158(E)

दिनांक 13.03.2001 का जीएसआर सं.175(E)

दिनांक 14.03.2001 का जीएसआर सं.182(E)

दिनांक 02.01.2002 का जीएसआर सं. 4(E)

दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.574(E)

दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.223(E)

दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.225(E)

दिनांक 22.07.2003 का जीएसआर सं.558(E)

दिनांक 23.10.2003 का जीएसआर सं.835(E)

दिनांक 22.11.2003 का जीएसआर सं.899(E)

दिनांक 07.01.2004 का जीएसआर सं.12(E)

दिनांक 23.04.2004 का,जीएसआर सं.278(E)

दिनांक 16.07.2004 का जीएसआर सं.454(E)

दिनांक 21.09.2004 का जीएसआर सं.625(E)

दिनांक 08.12.2004 का जीएसआर सं.799(E)

दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं 201(E)

दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.202(E)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd July, 2005

No. FEMA. 137/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 504(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2005.
- (ii) They shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Regulation 10, in sub-Regulation A, for the clause (a) the following shall be substituted:

- "(a) (i) any security, by way of gift, shall make an application to the Reserve Bank for its approval.
 - (ii) The Reserve Bank may grant such approval on being satisfied of the following conditions:
 - a) The donee is eligible to hold such a security under Schedules 1, 4 and 5 of these Regulations.
 - b) The gift does not exceed 5% of the paid up capital of the Indian company/each series of debentures/each mutual fund scheme.
 - c) The applicable sectoral cap/foreign direct investment limit in the Indian company is not breached.
 - d) The donor and the donee are relatives as defined in section 6 of the Companies Act, 1956.
 - e) The value of security to be transferred by the donor together with any security transferred to any person residing outside India as gift in the calendar year does not exceed the rupee equivalent of USD 25,000.
 - f) Such other conditions as considered necessary in public interest by the Reserve Bank.
 - (iii) The application for approval referred to in sub clause (i) shall contain the following information/documents:
 - (a) Name and address of the donor and the donee.
 - (b) Relationship between the donor and the donee.
 - (c) Reasons for making the gift.

- (d) In case of Government dated securities and treasury bills and bonds, a certificate issued by a Chartered Accountant on the market value of such securities.
- (e) In case of units of domestic mutual funds and units of Money Market Mutual Funds, a certificate from the issuer on the Net Asset Value of such security.
- (f) In case of shares and debentures, a certificate from a Chartered Account on the value of such securities according to the guidelines issued by the Securities & Exchange Board of India or the erstwhile CCI with regard to listed companies and unlisted companies respectively.
- (g) Certificate from the concerned Indian company certifying that the proposed transfer of shares/convertible debentures, by way of gift, from resident to the non-resident shall not breach the applicable sectoral cap/FDI limit in the company and that the proposed number of shares/convertible debentures to be held by the non-resident transferee shall not exceed 5% of the paid up capital of the company."

[No. 1/23/EM/2000-Vol-III]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406 (E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005

222297/05-2

अधिसूचना

मुंबई, 22 जुलाई, 2005 सं. फेमा 138/2005-आस्बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पाँचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 505(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000–आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(जैंजा संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, विनियम 5 में,

- i. उप-विनियम (2) में, परंतुक को हटा दिया जाएगा।
- ii. उप-विनियम (3) में, खण्ड (i) में, परंतुक और उसके पूर्ववर्ती कॉमा को हटा दिया जाएगा।
- iii. उप-विनियम (3) में, खण्ड (ii) में, परंतुक और उसके पूर्ववर्ती कॉमा को हटा दिया जाएगा।
- iv. उप-विनियम (5) में, परंतुक को हटा दिया जाएगा।

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-III]

विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :-

दिनांक 02.03.2001 का जीएसआर सं.158(E)

दिनांक 13.03.2001 का जीएसआर सं.175(E)

दिनांक 14.03.2001 का जीएसआर सं.182(E)

दिनांक 02.01.2002 का जीएसआर सं. 4(E)

दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.574(E)

दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.223(E)

दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.225(E)

दिनांक 22.07.2003 का जीएसआर सं.558(E)

दिनांक 23.10.2003 का जीएसआर सं.835(E)

दिनांक 22.11.2003 का जीएसआर सं.899(E)

दिनांक 07.01.2004 का जीएसआर सं.12(E)

दिनांक 23.04.2004 का जीएसआर सं.278(E)

दिनांक 16.07.2004 का जीएसआर सं.454(E)

दिनांक 21.09.2004 का जीएसआर सं.625(E)

दिनांक 08.12.2004 का जीएसआर सं.799(E)

दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.201(E)

दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.202(E)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd July, 2005

No. FEMA. 138/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 505(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2005.
- (ii) They shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person / Resident outside India) Regulations, 2000, in Regulation 5,

- i. in sub-regulation (2), the provisio shall be omitted.
- ii. in sub-regulation (3), in clause (i), the existing provisio and the coma preceding thereto shall be omitted.
- iii. in sub-regulation (3), in clause (ii), the existing provisio and the coma preceding thereto shall be omitted.
- iv. in sub-regulation (5), the existing provisio shall be omitted."

[No. 1/23/EM/2000-Vol-III] VINAY BAIJAL, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406 (E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005